

पोलनेट/बेतार संदेश/फैक्स के माध्यम से

प्रापक:- सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के स्टेशन अधीक्षक/संयुक्त सहायक निदेशक (रांची, लखनऊ, जयपुर, जम्मू, शिलांग, शिमला एवं त्रिवेन्द्रम केन्द्र को छोड़कर)

प्रेषक - सहायक निदेशक (राजभाषा), स.नि.पु.बेतार मुख्यालय
संख्या- ए. 20011/4/2017-हिन्दी, दिनांक 02/09/2019

अति आवश्यक/Most Urgent

अनुस्मारक संख्या एक (REMINDER NO. ONE) मुख्यालय निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2019 को समाप्त तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई (.) कृपया इस विषय पर मुख्यालय के दिनांक 28 अगस्त 2019 के संदेश संख्या ए. 20011/19 (अ)/2019-हिंदी और 22 जुलाई 2019 के पत्र सं. ए. 20011/19 (अ)/2019-हिंदी के पैरा 2 (क) और 2 (घ) पर (दोनों पत्र निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं) आपकी तरफ से की गई कार्रवाई की सूचना जो 30 अगस्त 2019 तक इस निदेशालय में पहुंचनी अपेक्षित थी अभी तक प्राप्त हुई है (.) अतः अनुरोध है कि सितम्बर 2019 तिमाही की बैठक और हिंदी कार्यशाला आपके केन्द्रों में किस तिथि को आयोजित की गई (बंगलुरु को छोड़कर), इसकी सूचना तथा अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी ज्ञान की स्थिति की सूचना इस मुख्यालय में अतिशीघ्र 03 सितम्बर 2019 तक अग्रेषित कर दें ताकि सितम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसकी जानकारी निदेशक महोदय को दी जा सके (.) कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें/-


(डॉ. आर. के. सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

सहायक निदेशक (आई.टी.) : कृपया निदेशालय की वेबसाइट के सर्कुलर भाग में अपलोड करने हेतु।